षष्ठम् माला, खंड 10, अंक 1, सोमवार, 20 फरवरी, 1978/1 फाल्गुन, 1899 (शक)

Sixth Series, Vol. X, No. 1, Monday, February 20, 1978/Phalguna 1, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. X contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी / हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 1, सोमवार, 20 फरवरी, 1978/1 फाल्गुन, 1899 (शक)

No. 1, Monday, February 20, 1978/Phalguna 1, 1899 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGES
लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	Alphabetical List of Members .	1—9
सभा के अधिकारी	Officers of the House. . . .	9
मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा राज्य मंत्रियों की सूची	List of Members of the Cabinet and Ministers of State	10—11
राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया	President's Address—Laid on the Table	11—22
निधन संबंधी उल्लेख	Obituary References . . .	23
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment . .	24
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	24
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	Resignation by Members . . .	26
श्री कर्पूरी ठाकुर तथा श्री वाई० शायजा	(Shri Karpoori Thakur and Shri Y. Shaiza)	26
लोक पाल विधेयक	Lokpal Bill	26
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee . .	26—28

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 20 फरवरी, 1978/1 फाल्गुन, 1899 (शक)

Monday, February 20, 1978/Phalguna 1, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

षष्ठम् लोक-सभा

अ

अंकनीडु, श्री मागन्ति (मछलीपटनम)
अंसारी, श्री फकीर अली (मिर्ज़ापुर)
अकबर जहान बेगम, श्रीमती (श्रीनगर)
अग्रवाल, श्री सतीश (जयपुर)
अर्गल, श्री छबीराम (मुरैना)
अनबालगमन, श्री पी० (रामनाथपुरम)
अनन्तन, श्री कुमारी (नागरकोइल)
अप्पालानायडु, श्री एस० आर० ए० एस० (अनकापल्ली)
अब्दुल लतीफ, श्री (नालांगोड़ा)
अमात, श्री डी० (सुन्दरगढ़)
अमीन, प्रो० आर० के० (सुरेन्द्र नगर)
अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)
अरुणाचलम, श्री वी० (तिरुनलवेली)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (अर्कोनम)
अलहाज, श्री एम० ए० हनान (बसीरहाट)
अल्लूरी, श्री सुभाषचन्द्र बोस (नरसापुर)
अबारी, श्री गेव० मनचारशा (नागपुर)
अशोकराज श्री ए० (परेम्बलूर)
असाइथाम्बी, श्री ए० वी० पी० (मद्रास उत्तर)
अहमद, श्री हलीमउद्दीन (किशनगंज)
अहमद हुसैन, श्री (धुबरी)
अहसान जाफरी, श्री (अहमदाबाद)

आ

आरिफ बेग, श्री (भोपाल)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरनाकुलम)
आहूजा, श्री सुभाष (बेतुल)

इ

इन्द्र सिंह, श्री (हिसार)

उ

उग्रसेन, श्री (देवरिया)
उन्नीकृष्णन श्री के० पी० (बड़ागारा)

ए

एंगती श्री बीरेन सिंह (स्वायत्त शासी जिले)
एलनचेजियन, श्री वी० एस० (पुडुक्कोट्टाई)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)
ओरांव, श्री लालू (लोहरडगा)

क

कछवाय, श्री हुकम चन्द (उज्जैन)

कदम, श्री बी० पी० (कनारा)
कानन, श्री पी० (सेलम)
कपूर, श्री लखन लाल (पूर्णिया)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्लि)
कृष्ण कान्त, श्री (चण्डीगढ़)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एम० बी० (चिकबल्लापुर)
काकडे, श्री सम्भाजीराव (बारामती)
कडन्नापल्ली, श्री राम चन्द्रन (कासरगोड)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)
काम्बले, श्री बी० सी० (बम्बई दक्षिण केन्द्रीय)
कार, श्री सरत (कटक)
कालदात्ते, डा० बापू (औरंगाबाद)
कासर, श्री अमृत (पणजी)
किशोर लाल, श्री (पूर्व दिल्ली)
किस्कू, श्री जदुनाथ (झाड़ग्राम)
कुन्हम्तु, श्री के० (ओटापालम)
कुन्दू, श्री एस० (बालासोर)
कुरील, श्री आर० एल० (मोहनलालगंज)
कुरील, श्री ज्वाला प्रसाद (घाटमपुर)
कुरेशी, श्री मोहम्मद शफी (अनंतनाग)
कुशवाहा, श्री रामनरेश (सलेमपुर)
केशरवानी, श्री एन० पी० (बिलासपुर)
कैलाश प्रकाश, श्री (मेरठ)
कोल्लाशट्टी, श्री ए० के० (वेलगाम)
कोडियान, श्री पी० के० (अडूर)
कोलनथाइवेलू, श्री आर० (तिरुचेंगोडे)
कोलूर, श्री राजशेखर (रायचूर)
कोमाल्लराम, श्री के० टी० (तिरुचेंडूर)
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम (रायपुर)

ख

खिमे रिनचिंग खाण्डू (अरुणाचल—पश्चिम)
खां, श्री इस्माइल हुसेन (बारपेटा)
खां, महमूद कुंवर अली (हापुड़)
खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)
खां, श्री महमूद हसन (बुलन्दशहर)
खां, श्री मोहम्मद शमसुल हसन (पीलीभीत)
खालसा, श्री बसन्त सिंह (रोपड़)

ग

गंगा भक्त सिंह, श्री (शाहबाद)
गंगा सिंह, श्री (मंडी)
गवई, श्री डी० जी० (बुलडाना)
गट्टानी, श्री आर० डी० (जोधपुर)
गामित, श्री छीतुभाई (माण्डवी)
गायकवाड़, श्री एफ० पी० (बड़ौदा)
गिरजानन्द सिंह, श्री (शिवहर)
गुप्त, श्री कंवर लाल (दिल्ली सदर)
गुप्त, श्री श्याम सुन्दर (बाढ़)
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गोगाई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोडे, श्री सन्तोषराव (वर्धा)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोदारा, चौ० हरी राम मक्कासर (बीकानेर)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोरे, श्रीमती मृणाल (बम्बई-उत्तर)
गोटखिंडे, श्री अणासाहिब (सांगली)
गोयल, श्री कृष्ण कुमार (कोटा)
गोविन्दजी बाला, श्री परमानन्द (खंडवा)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गौडा, श्री एस० ननजेश (हसन)
गौंडर, श्री वेणुगोपाल, (वान्डी-वारा)

घ

घोषाल, श्री सुधीर (मिदनापुर)

च

चक्रवर्ती, प्रो० दिलीप (कलकत्ता—दक्षिण)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (जादवपुर)
चतुर्भुज, श्री (झालावाड़)
चतुर्वेदी, श्री शम्भूनाथ (आगरा)
चन्द्र गौडा, श्री डी०बी० (चिकमगलूर)
चन्दन सिंह, श्री (कैराना)
चन्दर, डा० प्रताप चन्द्र (कलकत्ता—उत्तर पूर्व)
चन्द्रपाल सिंह, श्री (अमरोहा)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (कन्नोनोर)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर सिंह, श्री (वाराणसी)
चन्द्रावती, श्रीमती (भिवानी)
चरण नरजरी, श्री (काकरा-झार)
चरण सिंह, श्री (बागपत)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड)
चांदराम, श्री (सिरसा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिगैया, श्री के० (माण्डया)
चेतरी, श्री के० बी० (दार्जिलिंग)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री के० बी० (बीजापुर)
चौधरी, श्री त्रिदिब (बरहामपुर)
चौधरी, श्री मोतीभाई आर० (बनासकांठा)
चौधरी, श्रीमती रशीदाहक (सिलचर)
चौधरी, श्री रुद्रसेन (केसरगंज)
चौहान, श्री बेगाराम (गंगानगर)
चौहान ,श्री नबाब सिंह (अलीगढ़)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जगन्नाथन, श्री एस० (श्रीपेराम्बुदुर)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकासी)
जसरोतिया, ठाकुर बलदेव सिंह (जम्मू)
जार्ज, श्री एस० सी० (मुकन्दपुरम)
जाफ़र शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर-उत्तर)
जावदे, श्री श्रीधर राव नाथोबाजी (यवतमाल)
जुल्फीकार उल्ला, श्री (सुल्तानपुर)
जैठमलानी, श्री राम (बम्बई उत्तर—पश्चिम)
जैन, श्री कचरुलाल हेमराज (बालाघाट)
जैन, श्री कल्याण (इन्दौर)
जैन, श्री निर्मल चन्द (सिवनी)
जायसवाल, श्री अनन्तराम (फैजाबाद)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्डा)
जोशी, डा० मुरली मनोहर (अल्मोड़ा)

ट

टिर्की, श्री पायस (अलीपुर द्वार)
टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मणिपुर)

ठ

ठाकुर, श्री अघन सिंह (कांकेर)
ठाकुर श्री कृष्णराव (चिमूर)

ड

डान, श्री राज कृष्ण (वर्दवान)
डोले, श्री एल० के० (लखिमपुर)
डामोर, श्री सोमजीभाई, (दोहद)
डिगल, श्री श्रीबाटचा (फूलवनी)

ढ

ढिल्लों, श्री इकबाल सिंह (जालन्धर)

त

तन सिंह, श्री (बाड़मेर)
तलवंडी, श्री जगदेव सिंह (लुधियाना)
तिवारी, श्री द्वारकानाथ (गोपालगंज)
तिवारी, श्री बृज भूषण (खलीलाबाद)
तिवारी, श्री मदन (राजनंदगांव)
तिवारी, श्री रामानन्द (बक्सर)
तुर, श्री मोहन सिंह (तरन तारन)
तुलसीराम, श्री वी० (पैड्डापल्ली)

तोहरा, श्री जी० एस० (पटियाला)
तेज प्रताप सिंह, श्री (हमीरपुर)
त्यागी, श्री ओम प्रकाश (बहराइच)
त्यागराजन, श्री पी० (शिवगंगा)
त्रिपाठी, श्री माधव प्रसाद (डुमरिया गंज)
त्रिपाठी, श्री राम प्रकाश (कन्नौज)

थ

थामस, श्री स्कारिया (कोट्टायन)
थोरट, श्री भाउ साहिब (पंढरपुर)

द

दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दण्डयुतपाणि, श्री वी (बेल्लोर)
दत्त, श्री अशोक कृष्ण (डमडम)
दवे, श्री अनन्त (कच्छ)
दानवे, श्री पुण्डलीक हरि (जालना)
दाभी, श्री अजीत सिंह (आनन्द)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री आर० पी० (कृशनगर)
दास, श्री श्याम सुन्दर (सीतामढ़ी)
दास गुप्ता, श्री के० एन० (जलपाइगुड़ी)
दासप्पा, श्री तुलसीराम (मैसूर)
दिग्विजय नारायण सिंह, श्री (वैशाली)
दुर्गाचन्द कंवर, (कांगड़ा)
देशमुख, श्री नानाजी (बलरामपुर)
देशमुख, श्री राम प्रसाद (हाथरस)
देशमुख, श्री शेषराव, (परभनी)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
देसाई, श्री दाजीबा (कोलहापुर)
देसाई, श्री हितेन्द्र (गोधरा)
देवराजन, श्री वी० (रसिपुरम)
देव, श्री वी० किशोर चन्द्र (पार्वतीपुरम)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)

ध

धारा, श्री सुशील (तामलुक)
धारिया, श्री मोहन (पुज्जे)
धुर्वे, श्री श्यामलाल (मांडला)
धोंडगे, श्री केशवराव (नांदेड़)

न

नाथू सिंह, श्री (दौसा)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (जूनागढ़)
नथूनी राम, श्री (नवादा)
नरेन्द्र सिंह, श्री (दमोह)
नाहाटा, श्री अमृत (पाली)
नायक, श्री लक्ष्मीनारायण (खजुराहो)
नायक, श्री एस० एच० (नन्दुरबार)
नायक, श्री वी०पी० (वाशिप)
नायक श्री बी०के० (मवेलीकारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नारायण, श्री के० एस० (हैदराबाद)
नाहर, श्री विजय सिंह (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)
नायर, श्री एन०एन० गोविन्दन (त्रिवेन्द्रम)
नायडू, श्री पी० राजगोपाल (चित्तूर)
नेगी, श्री टी० एस० (टिहरी गढ़वाल)

प

पंडित, डा० वसन्त कुमार (राजगढ़)
पटनायक, श्री बीजू (केन्द्रपाड़ा)
पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)
पटवारी, श्री एच० एल० (मंगलदाई)
पटेल, श्री अहमद एम० (भड़ोच)
पटेल, श्री आर० आर० (दादरा और नगर हवेली)
पटेल, श्री एच० एम० (सावरकंठा)
पटेल, कुमारी मणिबेन बल्लभभाई (मेहसाना)
पटेल, श्री द्वारिकादास (अमरेली)
पटेल, श्री धर्मसिंह भाई (पोरबन्दर)
पटेल, श्री नानुभाई एन० (बुलसार)
पटेल, श्री मीठालाल (सवाई माधोपुर)
परमार, श्री नटवरलाल (ढुढुका)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)
पस्लेकर, श्री बापूसाहिब (रत्नागिरि)
पई, श्री टी०ए० (उदीपी)
पांडे, श्री अम्बिका प्रसाद (बांदा)
पांडेय, डा० लक्ष्मी नारायण (मन्दसौर)
पजनौर, श्री ए० बाला (पांडिचेरी)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री चन्द्रकान्त (हिंगोली)
पाटिल, श्री डी०वी० (कोलावा)
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री यू० एस० (लातुर)
पाटिल, श्री विजय कुमार एन० (धुलिया)
पाटिल, श्री एस० डी० (इरन्दोल)
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खरगोन)
पासवान, श्री राम बिलास (हाजीपुर)
पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पार्वती देवी, श्रीमती (लद्दाख)
पिपिल, श्री मोहन लाल (खुर्जा)
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)
पुल्लय्या श्री दारूर (अनन्तपुर)
पेरटिन, श्री बकिन (अरुणाचल पूर्व)
पेरियासामी, श्री पी० वी० (कृष्णगिरी)
प्रधान, श्री अमर राय (कूचबिहार)
प्रधान, श्री गणनाथ (सम्बलपुर)
प्रधान, श्री पवित्र मोहन (देवगढ़)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)

फ

फजलुर रहमान, श्री (बेतिया)
फैलीरी एडआर्जी, श्री (मारमोगोआ)
फर्नानडिस, श्री जार्ज (मुजफूफरपुर)
फिरंगी प्रसाद, श्री (बासगाँव)

ब

बटेश्वर हेमराम, श्री (दुमका)
बद्रीनारायण, श्री ए० आर० (शिमोगा)
बनतवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)
बड़कटकी, श्रीमती रेणुकादेवी (गोहाटी)
बरनाला, श्री सुरजीत सिंह (संगरूर)
बरवे, श्री जे० सी० (रामटेक)
बर्मन, श्री किरित बिक्रमदेव (त्रिपुरा)
बर्मन, श्री पालस (बालूरघाट)
बरुआ, श्री देवकान्त (नवगांव)
बरुआ, श्री वेदव्रत (कलियाबोर)
बलदेव, प्रकाश डा० (अमृतसर)
बलबीर सिंह, चौधरी (होशियारपुर)
बशीर अहमद, श्री (फतेहपुर)
बहुगुणा, श्री हेमवती नन्दन (लखनऊ)
बहुगुणा, श्रीमती कमला (फूलपुर)
बासप्पा, श्री कोंडाजी, (दावंगेरे)
बसु, श्री चित्त (बारासत)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसु, श्री धीरेन्द्र नाथ (कटवा)
बागड़ी, श्री मनीराम (मथुरा)
बागुन, सुम्बरुई, श्री (सिंहभूम)
बाल श्री प्रद्युमन किशोर (जगतसिंहपुर)
बालकराम, श्री (शिमला)
बालकृष्णाय्या, श्री टी०. (तिरुपति)
बीरेन्द्र प्रसाद श्री (नालन्दा)
बुरांडे, श्री गंगाधर अप्पा (भिर)
बैरागी, श्री जेना (भद्रक)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित आँग्ल भारतीय)
बेरवा, श्री रामकंवर (टोंक)
बोडे, श्री नानासाहिब (अमरावती)
बोडुपल्ली श्री राजगोपालराव (श्रीकाकुलम)
बोरोल, श्री यशवन्त (जलगांव)
बृजराज सिंह, श्री (आंवला)
ब्रह्म प्रकाश चौधरी, (बाह्य दिल्ली)

भ

भवर, श्री भागीरथ (झबुआ)
भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

भगतराम. श्री (फिल्लौर)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री श्याम प्रसन्न (उलूबेरिया)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भारत भूषण, श्री (नैनीताल)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (कुड्डलोर)

म

मंगलदेव, श्री (अकबरपुर)
मंडल, श्री धनिक लाल (झंझारपुर)
मंडल, श्री मुकुन्द (मथुरापुर)
मंडल, डा० विजय (बंकुरा)
मंडल श्री बी० पी० (माधेपुर)
मछण्ड, श्री रघुवीर सिंह (भिण्ड)
मनोहरलाल, श्री (कानपुर)
मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (सोनीपत)
मल्लिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मल्होत्रा, श्री विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)
महाटा, श्री सी० आर० (पुरुलिया)
महाला, श्री के० एल० (झुन्झुन)
महात्वे, श्री हरि शंकर (मालेगांव)
महिषि, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
महीलाल, श्री (बिजनौर)
मागर, श्री अण्णा साहिब (खेड)
माथुर, श्री जगदीश प्रसाद (सीकर)
मानकर, श्री लक्ष्मण राव (भंडारा)
माने, श्री राजाराम शंकर राव (इचलकरांजी)
मायातेवर, श्री के० (डिंडीगल)
मालन्ना, श्री के० (चित्रदुर्गा)
मावलंकर, प्रो० पी० जी० (गांधीनगर)
मिर्जा, श्री सैयद काजिम अली (मुर्शिदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथुराम (नागौर)
मिरी, श्री गोबिन्द राम (सारगढ़)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मुण्डा, श्री गोविन्द (क्योंझर)
मुण्डा, श्री कटियां (खुटी)
मुरमू, फादर एन्थनी (राजमहल)
मुराहरी, श्री गोडे (बिजयवाड़ा)
मूरुगाइयन, श्री एस० जी० (नागापट्टिनम)
मूरुगेसन, श्री ए० (चिदम्बरम)
मुल्तान सिंह, चौधरी (जालेसर)
मूर्ति, श्री कसुमा कृष्ण (आमलापुरम)
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुर)
महालगी, श्री आर० के० (थाना)
मेदुरी, श्री नागेश्वरराव (तेनाली)
मेहता, श्री प्रसन्न भाई (भावनगर)
मैथ्यु, श्री जार्ज (मुवुतुपुन्जा)
मोहनरंगम, श्री आर० (चिंगलपट्ट)
मोहन भैया, श्री (दुर्ग)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोहम्मद हयात अली, श्री (रायगंज)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मयती, कुमारी आभा (पंसकुरा)

य

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (खगरिया)
यादव, श्री नर सिंह (चन्दौली)
यादव, श्री रामजी लाल (अलवर)
यादव, श्री रूप नाथ सिंह (प्रतापगढ़)
यादव, श्री विनायक प्रसाद (सहराना)
यादव, श्री शरद (जबलपुर)
यादव, श्री हुकम देव नारायण (मधुबनी)
यदवेन्द्रदत्त श्री (जौनपुर)
युवराज, श्री (कटिहार)

र

रघुबीर सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
रघुरामैया, श्री के० (गंटूर)
रथ, श्री रामचन्द्र (आस्का)
रणजीत सिंह, श्री (हमीरपुर)
रवि, श्री वयालार (चिरायिनकिल)
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री (अमेठी)
रशीद मसूद, श्री काजी (सहारनपुर)
रांगनेंकर, श्रीमती अहिल्या पी० (बम्बई उत्तर-मध्य)
राकेश आर० एन० (तायल)
राघव जी, श्री (विदिशा)
राघवेन्द्र सिंह, श्री (उन्नाव)
राचैया, श्री बी० (धामराजनगर)
राज केशर सिंह, श्री (मछली शहर)
राजदा, श्री रत्न सिंह (बम्बई दक्षिण)
राजन, श्री के० ए० (त्रिचूर)
राजनारायण, श्री (राय बरेली)
राजू, श्री के० ए० (पोलाची)
राजू, श्री पी० वी० जी० (बोब्विली)
राठवाँ, श्री अमर सिंह भाई (छोटा उदयपुर)
राठौर, डा० भगवान दास (हरिद्वार)
राम अवधेरा, सिंह, श्री (विक्रमगंज)
राम, श्री रामदेनी (पालामू)
राम किंकर, श्री (बाराबंकी)
रामकिशन, श्री (भरतपुर)
राम गोपाल सिंह, चौधरी (बिल्लौर)
रामचन्द्रन, श्री पी० (मद्रास मध्य)
रामचरण, श्री (जालौन)
रामजी सिंह, डा० (भागलपुर)
रामधन, श्री (लालगंज)
रामजीवन सिंह, श्री (बलिया)
रामदास सिंह श्री, (गिरीडीह)
रामदेव सिंह श्री, (महाराजगंज)
रमापति सिंह श्री, (मोतिहारी)
राम मूर्ति, श्री (बरेली)
राममूर्ति, श्री के० (धर्मपुरी)
रामलिंगम, श्री एन० कुदनतई (मयूरम)
रामलिंगम, श्री पी० एस० (नीलगिरी)
राम सागर, श्री (सदैवपुर)
रामास्वामी, श्री के० एस० (गोबिचेंट्टिपालयम)
रामास्वामी, श्री एस० (पेरियाकुलम)
रामूवालिया, श्री बलवन्त सिंह (फरीदकोट)
राय, श्री ए० के० (धनबाद)
राय, श्री गौरी शंकर (गाजीपुर)
राय, श्री नर्मदा प्रसाद (सागर)
राय, श्री शिवराम (घोसी)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्री सौगत (बैराकपुर)
राव, श्री एस० एम० संजीवी (काकीनाडा)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)
राव, श्री जलगाम कोंडाला (खम्मम)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री पट्टाभी राम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकीनीडु (बापतला)
राव, श्री पी० वी० नरसिंह (हनमकोण्डा)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आन्नद (भद्राचलम)
राव, श्री राजे विश्वेश्वर (चन्द्रपुर)
राही, श्री राम लाल (मिसरिख)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री एस० आर० (गुलबर्गा)
रेड्डी, श्री के० ओबुल (कुडुापाह)
रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द (नरसारावपेट)
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर (कुरनूल)
रेड्डी, श्री जी० एस० (निरयालगुडा)
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० वायप्पा (हिन्दुपुर)
राड्रिक्स, श्री रुड्रोल्फ (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)
रोथुआम, डा० आर० (मिजोरम)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीनारायण, श्री एम० आर० (डिंडिवनम)
लहानु सिडवा कोम, श्री (हहानु)
लल्लू प्रसाद, श्री (छपरा)
लाल श्री श्याम सुन्दर (बयाना)
लालजी भाई, श्री (सलूम्बर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लिंगडोह, श्री होपिंगस्टोन (शिलांग)

व

बघेला, श्री शंकर सिंह जी (कापडवंज)
वकील, श्री अब्दुल अहाद (बारामुला)
वर्मा, श्री आर० एल० पी० (कोडरमा)
वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (चतरा)
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आरा)
वर्मा, श्री फूल चन्द (शानापुर)
वर्मा, श्री मृत्युंजय प्रसाद (सीवान)
वर्मा, श्री वृज लाल (माहासमुन्द)
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह (मैनपुरी)
वर्मा, श्री रवीन्द्र (रांची)
वर्मा, श्री हरगोविन्द (सीतापुर)
वशिष्ट, श्री धर्म वीर (फरीदाबाद)
वाजपेयी, श्री अटल विहारी (नई दिल्ली)
विश्वनाथन, श्री सी० एन० (तिरुपत्तूर)
वीरभद्रप्पा श्री के० एस० (बैल्लरी)
वेंकटरामन, श्री आर० (मद्रास दक्षिण)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दीपेट)
वेंकटा रेड्डी, श्री पी० (ओंगोले)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानंद, श्री बी० (चिक्कोडी)
शर्मा, श्री जगन्नाथ (गढ़वाल)
शर्मा, श्री यज्ञदत्त (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री रान्द्र कुमार (रामपुर)
शांति देवी, श्रीमती (सम्भल)
शाक्य, श्री दया राम (फरुखाबाद)
शाक्य, डा० महादीपक सिंह (एटा)
शारदा, श्री एस० के० (अजमेर)
शास्त्री, श्री भानु कुमार (उदयपुर)
शास्त्री, श्री रामधारी (पदरौना)
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद (रीवा)
शाह, श्री डी० पी० (बस्तर)
शाह, श्री सूरत बहादुर (खीरी)
शिन्दे, श्री पी० अण्णासाहिब (अहमदनगर)
शिव नारायण, श्री (बस्ती)
शिव सम्पति राम, श्री (राबर्टगंज)
शुक्ल, श्री चिमन भाई एच० (राजकोट)
शुक्ल, श्री मदन लाल (जांजगीर)
शेजवलकर, श्री एन० के० (ग्वालियर),
शेठ, श्री विनोदभाई (जामनगर)
शेर सिंह, प्रो० (रोहतक)
शैजा, श्रीमती रानों एम० (नागालैंड)
श्रंगारे, श्री टी० एस० (उस्मानाबाद)
श्रीकृष्ण सिंह, श्री (मुंगरे)
षाडंगी, श्री आर० पी० (जमशेदपुर)

स

संगमा, श्री पी० ए० (तुरा)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सैयद मोहम्मद, डा० वी० ए० (कालीकट)
सईद मुर्तजा, श्री (मुजफ्फरनगर)
सक्सेना, प्रो० शिव्बनलाल (महाराजगंज)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेनकानल)
सत्यदेव सिंह, श्री (गौंडा)
सत्यनारायण, श्री दरोनमराजू (विशाखापतनम)
सरकार, श्री शाक्ति कुमार (जयनगर)
सरदार, श्री महेन्द्रनारायण (अररिया)
सारण, श्री दौलतराम (चुरू)
सरसूनिया, श्री शिव नारायण (करोलबाग)
साठे, श्री बंसत, (अकोला)

सान्याल, श्री शशांकसेखर (जंगीपुर)
साय, श्री लारंग (सरगुजा)
साय, श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव (रायगढ़)
सैयावाला, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
सामन्त सिंहेरा, श्री पदमचरण (पुरी)
साहू, श्री एन्थू (बोलनगीर)
साहा, श्री ए० के० (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
सिंह, डा० बी० एन० (हजारीबाग)
सिकन्दर बख्त, श्री (चांदनी चौक)
सिन्हा, श्री एच० एल० पी० (जहानाबाद)
सिन्हा, श्री महामाया प्रसाद (पटना)
सिंघा, श्री सचिन्द्र लाल (त्रिपुरा-पश्चिम)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिन्हा, श्री पूर्ण (तेजपुर)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरगंज)
सुखेन्द्र सिंह श्री (सतना)
सुधीर, श्री वी० एम० (एल्लेप्पा)
सुन्ना साहिब, श्री ए० (पालघाट)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (पलानी)
सुमन, श्री रामजी लाल (फिरोजाबाद)
सुमन, श्री सुरेन्द्र झा (दरभंगा)
सुरेन्द्र विक्रम, श्री (शाहजहांपुर)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलुरू)
सूर्य नारायण सिंह, श्री (सीधी)
सेन, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (आरामबाग)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)
सैनी, श्री मनोहर लाल (महेन्द्रगढ़)
सोभानी, श्री० रूप लाल (भीलबाड़ा)
सोमसुन्दरम्, श्री एस० डी० (तंजाबर)
सोमानी, श्री एस० एस० (चित्तौड़गढ़)
स्टीफन, श्री सी० एम० (इदुक्की)
स्वतन्त्र, श्री जगन्नाथ प्रसाद (बगहा)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम (बम्बई--उत्तर पूर्व)
स्वामीाथन, श्री आर० बी० (मदुरै)

ह

हजारी, श्री राम सेवक (रोसेड़ा)
हरिकेश बहादुर, श्री (गोरखपुर)
हरेन भूमिज, श्री (डिब्रूगढ़)
हांडे, श्री बी० जी० (नासिक)
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हीराभाई, श्री (बांसबाड़ा)
हुकम राम, श्री (जालोर)
हेगड़े, श्री के० एस० (बंगलौर--दक्षिण)

क्ष

क्षेत्री, श्री छत्र बहादुर (सिक्किम)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री के० एस० हेगड़े

उपाध्यक्ष

श्री गोड़े मुराहरि

सभापति तालिका

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु
श्री त्रिदिब चौधरी
श्री एम० सत्यनारायण राव
श्री द्वारिका नाथ तिवारी
डा० सुशीला नायर
श्री एन० के० शेजवलकर

सचिव

श्री अवतार सिंह रिखी

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री	श्री मोरारजी देसाई
गृह मंत्री	श्री चरण सिंह
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री लाल कृष्ण अडवाणी
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री सुरजीत सिंह बरनाला
पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा
निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री सिकन्दर बख्त
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री शांति भूषण
शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री	डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र
रेल मंत्री	प्रो० मधु दण्डवते
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	श्री मोहन धारिया
उद्योग मंत्री	श्री जार्ज फर्नांडिस
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री पुरुषोत्तम कौशिक
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्री राजनारायण
वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री	श्री एच० एम० पटेल
इस्पात और खान मंत्री	श्री बीजू पटनायक
ऊर्जा मंत्री	श्री पी० रामचन्द्रन्
विदेश मंत्री	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री	श्री रवीन्द्र वर्मा
संचार मंत्री	श्री बृजलाल वर्मा

राज्य मंत्री

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आरिफ़ बेग
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री	श्री चान्द राम
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री कृष्ण कुमार गोयल
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री धन्ना सिंह गुलशन
निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री राम किंकर
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस० कुन्डू
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	कुमारी आभा मैती
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री धनिक लाल मण्डल
पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री जनेश्वर मिश्र

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री करिया मुण्डा
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस० डी० पाटिल
ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री फजलुर रहमान
श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री लारंग साय
संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शिव नारायण
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो० शेर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य यंत्री	श्री भानू प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री जगबीर सिंह
श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० राम कृपाल सिन्हा
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री जगदम्बी प्रसाद यादव
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नरसिंह यादव
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री जुल्फिकार उल्लाह
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी

राष्ट्रपति का अभिभाषण
PRESIDENT'S ADDRESS

सचिव : मैं 20 फरवरी, 1978 को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण
President's Address

माननीय सदस्यगण, मैं इस साल के पहले संसद् सत्र में आपका स्वागत करता हूं । भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद संसद् को संबोधित करने का यह मेरा पहला मौका है । यों तो इस समय ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए लेकिन इस समय मेरा मन उन लोगों के लिए व्याकुल है जिन्हें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और लक्षद्वीप में कहर ढ़ाने वाले समुद्री तूफानों में अपनी जान और माल से हाथ धोने पड़े । उन तूफानों में उनके जो सगे संबंधी बचे हैं उनके लिए भी मेरा मन बहुत परेशान है । मेरी सरकार ने इसे राष्ट्रीय विपत्ति माना है और इसके लिए हर मुमकिन मदद दी है और राहत कार्य संगठित करने में संबंधित राज्य सरकारों के साथ पूरा सहयोग किया है । हमारे देश के हर हिस्से के लोगों ने खुले दिल से उदारता के साथ योगदान दिया है और उनकी इस मदद के लिए मैं हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं ।

आम चुनावों के बाद इन महीनों में संसद् और सरकार ने संविधान में दी गई स्वतन्त्रताओं और संरक्षणों को जनता को फिर से पूरे तौर पर हासिल कराने के लिए तेजी से काम किया है । न्यायालयों को उनकी शक्तियां दोबारा हासिल हो गई हैं । समाचारपत्र स्वतन्त्र हैं । नागरिकों को उनकी स्वतन्त्रता पर मनमानी रोक-टोक लगने का अब कोई डर नहीं है । विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के आपसी संबंधों में और इनके साथ नागरिकों के संबंधों में फिर से संतुलन बनाने के वायदे को कदम-ब-कदम पूरा किया जा रहा है । दरअसल, संविधान में किए जाने वाले कुछ संशोधनों को छोड़ कर, बाकी काम लगभग पूरा हो चुका है ।

सरकार को जो जनादेश मिला उसके मुताबिक इसके सामने सबसे पहला काम यह था कि संविधान में जोड़े गये निरंकुशता से संबंधित उपबन्धों को हटाया जाए । संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक को संसद् के दोनों सदनों ने पास कर दिया है और यह अब राज्यों के विधानमंडलों के पास अनुसमर्थन के लिए भेजा गया है । इससे न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र पर लगी तरह-तरह की पाबंदियां दूर हो जाएंगी । विरोधी दलों के नेताओं के साथ विस्तार से चर्चा के बाद, संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम से संविधान का जो रूप बिगड़ गया था उसे ठीक करने के लिए एक व्यापक विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है । यह विधेयक इसी सत्र के दौरान पेश किया जाएगा । मुझे आशा है इसे दोनों सदनों के सभी वर्गों का जल्द ही पूरा सहयोग मिलेगा ताकि काले धब्बों को मिटा कर संविधान को इसके असली रूप में फिर से ला सकें । लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को नकार और उलटने के लिए संविधान का ही उपयोग करने की किसी कोशिश की संभावना न रह जाए, इसके ठोस उपाय करने की खास जरूरत है ।

कानून की निगाह में बराबरी के सिद्धांत को दूषित करने, भ्रष्टाचारपूर्ण तरीकों की धारणा को बदलने और न्यायालयों में अपील करने की शक्तियों को कम करने के लिए चुनाव कानूनों में कई परिवर्तन कर दिये गये थे । अब उन्हें निरस्त कर दिया गया है । जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1974 तथा 1975 में किए गए संशोधनों को हटाने के लिए एक विधेयक आपके सामने पेश है जिससे इन संशोधनों से पहले जो लोकतांत्रिक तत्व इस कानून में मौजूद थे, उन्हें बहाल किया जा सके । इस तरह गैर-लोकतांत्रिक हस्तक्षेपों को दूर किया जा रहा है, लेकिन चुनाव कानूनों और कार्य-पद्धतियों में बुनियादी सुधार करने की जरूरत बनी हुई है, ताकि चुनाव-प्रक्रिया को अधिक न्यायसंगत तथा नुकसानदेह प्रभावों के प्रति ज्यादा मजबूत बनाया जा सके । सरकार इस मसले पर विस्तार से गौर कर रही है और वह शीघ्र ही अपने प्रस्ताव राजनीतिक दलों के सामने पेश करेगी ।

जनता सच्चे मन से यह चाहती है कि राजनीति और सभी स्तरों पर प्रशासन अधिक स्वच्छ हो । जब तक ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्तियों की ईमानदारी में विश्वास नहीं जमेगा, तब तक सांविधानिक सरकार का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा । आपातकाल में हुई ज्यादतियों और अपने पदों का गलत इस्तेमाल करने वाले कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए गठित आयोग अपने कठिन कामों में लगे हुए हैं । जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा भ्रष्टाचार तथा अपनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल के विरुद्ध व्यावहारिक तथा विश्वसनीय सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए तैयार किया गया लोकपाल विधेयक आपके सामने पेश है । सभी संसद् सदस्यों को अपनी परिसम्पित्तियों, देनदारियों तथा कारबारी संबंधों के बारे में घोषणा करने के लिए सरकार एक विधेयक पेश करेगी ।

एक सचेत जनमत ही विधि-संगत शासन तथा ईमानदार और कुशल लोकतांत्रिक सरकार को सुनिश्चित कर सकता है । आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन निवारण अधिनियम को निरस्त करके तथा संसद् कार्यवाही (प्रकाशन की सुरक्षा) अधिनियम को बहाल करके संसद् ने समाचारपत्रों को एक बार फिर से व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा समाज के कल्याण के प्रहरी के रूप में कार्य करने में समर्थ बना दिया है । समाचार एजेंसियों पर सभी प्रकार के नियंत्रणों को हटाने के लिए सरकार ने स्वयं पहल की है । प्रेस के कार्य-निष्पादन का जायजा लेने का काम प्रेस परिषद् जैसे व्यावसायिक संगठनों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए । मुझे उम्मीद है कि प्रेस परिषद् जल्द ही फिर से काम करने लगेगी । सरकार का विचार है कि वह एक प्रेस आयोग बनाए जो देश में मजबूत तथा स्वतन्त्र समाचार-पत्रों और समाचार सेवाओं का विकास करने की और सुविधायें देने की उपयुक्त सिफारिशें दे सके ।

जून, 1977 में राज्य विधान सभाओं के लिए चुनावों के दौरान सभी राजनीतिक दलों को आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर अपना प्रचार करने की सुविधा देने से हमारे संचार माध्यमों के इतिहास

में एक नया अध्याय जुड़ गया है । सरकार ने यह बात साफ-साफ कह दी है कि सरकारी संचार माध्यमों का दलगत उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा । आकाशवाणी और दूरदर्शन को अधिक स्वायत्तता देने के प्रश्न पर विचार कर रहे एक कार्यकारी दल की रिपोर्ट की सरकार प्रतीक्षा कर रही है ।

सरकार द्वारा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का पूरे तौर पर रिव्यू किया जा चुका है और मीसा को निरस्त करने तथा दण्ड-प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पहले ही पेश किया जा चुका है । सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत की रक्षा और सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और समाज के जीवन-यापन के लिए अनिवार्य पूर्तियों और सेवाओं को बनाए रखने के हित में न्यूनतम आवश्यक कानूनी प्रावधान तो रखे ही जाएं, लेकिन साथ ही ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में किसी भी प्रकार की मनमानी को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाय और यदि जरूरत पड़े तो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा मनोनीत न्यायाधीशों के बोर्डों से रिव्यू भी कराया जाए।

राष्ट्रीय जीवन के कुछ क्षेत्रों में, जनता की दबाई गई भावनाएं तरह-तरह के विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों के रूप में व्यक्त हुई हैं । इसके साथ ही, प्रतिबंधों को हटाने से, समाज के कुछ वर्गों ने हिंसा, आतंक और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों में भाग लेना आरम्भ कर दिया है । विदेशों में भी कर्मचारियों और सम्पत्ति को हानि पहुंचाने की घटनाएं हुई हैं तथा धमकियां भी मिली हैं । कोई भी ऐसा वर्ग जिसके साथ न्याय न हुआ हो, अपनी न्यायोचित शिकायतों को सांविधानिक माध्यमों से दूर करवा सकता है लेकिन सरकार हिंसा तथा अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इस प्रकार की कार्रवाई करने वालों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जायेंगे ताकि ये दोबारा न हों । केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही नहीं बल्कि नागरिकों, विशेषकर कमजोर वर्ग के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए देश की पुलिस को जन-सेवा का एक प्रभावी साधन बनाना होगा । इस संबंध में सरकार ने प्रशासन को विस्तृत निदेश जारी किये हैं । चूंकि भारतीय पुलिस अधिनियम बहुत पहले 1861 में बनाया गया था और अंतिम पुलिस आयोग 1902 में गठित किया गया था, इसलिए सरकार ने देश में पुलिस प्रशासन से सम्बद्ध सभी महत्वपूर्ण मामलों की जांच करने और इसके बारे में सिफारिशें देने के लिए एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया है ।

सरकार इस बात को सर्वोच्च महत्व देती है कि अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों तथा उनके हितों की सुरक्षा संबंधी उपायों को लागू किया जाय। सरकार यह महसूस करती है कि इन वर्गों को राष्ट्र के प्रमुख कार्यों में अन्य वर्गों के समान स्तर पर, प्रभावकारी तथा स्वतंत्र रूप में भाग लेने में समर्थ बनाने के लिए स्थायी संस्थागत प्रबंध करने आवश्यक हैं । अतः इसके लिए निम्नलिखित आयोग गठित किए जा रहे हैं :

(1) सांविधानिक सुरक्षणों को लागू करने तथा संघ एवं राज्य सरकारों द्वारा पास किए गए कानूनों की सुरक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जा रहा है ।

(2) संविधान और कानूनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जो सुरक्षण दिये गए हैं उनसे संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जा रहा है ।

पिछले साल अर्थव्यवस्था का ठीक तरह संचालन हुआ जिसकी वजह से यह अब इतनी अच्छी अवस्था में है कि अगले साल तेज प्रगति की जा सकती है । इस सरकार के कार्यभार संभालने से पहले वाले साल में अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 2 प्रतिशत से भी कम थी जबकि इस साल यह बढ़कर 5 प्रतिशत हो गई है । कृषि उत्पादनों में पिछले वर्ष में हुई कमी को पूरा कर लिया गया है और उम्मीद है कि अन्न का उत्पादन 1180 लाख टन से ज्यादा ही होगा । वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में भी वर्तमान वर्ष में

बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है । हालांकि निर्यात अर्जन में कमी आई है फिर भी भुगतान संतुलन मजबूत रहा है तथा हमारे विदेशी मद्रा कोष में खासी बढ़ोतरी होती रही। जोन प्रणाली को समाप्त करने के बावजूद अनाज की वसूली काफी बड़े पैमाने पर हुई है । हालांकि सरकारी वितरण प्रणाली में काफी बड़ी मात्रा में अन्न दिया जा रहा है फिर भी इस समय 170 लाख टन अनाज भण्डार में है ।

मुद्रास्फीती संबंधी दबावों पर नियंत्रण पा लिया गया है । पिछले साल कीमतों में लगभग 12 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद इस समय कीमत का स्तर मार्च, 1977 के स्तर से ऊंचा नहीं है। मुद्रा की सप्लाई में जो कि 20 प्रतिशत अधिक थी, इस वर्ष काफी कमी ला दी गई है । चूंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीती की शक्यता काफी है, इसलिए सरकार कीमतों की मौजूदा स्थिति के बारे में निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकती । अगले साल कीमतों को उचित स्तर पर स्थिर रखने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया जाएगा ।

इस सरकार को विरासत में ऐसी अर्थ-व्यवस्था मिली जिसमें घोर गरीबी और बेरोजगारी थी, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां अधिकतर लोगों को पिछले 30 सालों में हुए विकास का लाभ नहीं मिला था । इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा को दूर करने के लिए तथा गरीबी और बेरोजगारी की पुरानी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने विकास प्रक्रिया को सही दिशा देने का निर्णय किया है । इसीलिए, पांचवीं पंच-वर्षीय योजना को इस साल समाप्त कर अप्रैल, 1978 से एक नई पंचवर्षीय योजना शरू की जा रही है । इस योजना में विकास के लक्ष्य निर्धारण संबंधी सरकार की नई विचारधारा का समावेश होगा । बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी को कम-से-कम समय में दूर करना, इसी अवधि में निम्नतम आय वाले वर्ग के लोगों के लिए अधिक से अधिक मात्रा में आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना, आय और सम्पत्ति की असमानता में महत्वपूर्ण कमी करना और तकनीकी आत्म-निर्भरता में लगातार प्रगति करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य होंगे । इसलिए, अगली पंचवर्षीय योजना में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों, कुटीर और लघु उद्योगों, सिंचाई और बिजली, प्रौढ़ शिक्षा, सभी के लिए बुनियादी शिक्षा, गांव में पानी और सड़कों की व्यवस्था करने पर खास तौर से जोर दिया जायेगा । अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक आधारभूत सामग्री जैसे तेल, कोयला, धातुएं, उर्वरक, सीमेंट आदि के उत्पादन पर भी बल दिया जाएगा ।

सरकार ने नई औद्योगिक नीति का घोषणा की है जिसमें कुटीर और लघु उद्योगों के विकास को पूरे देश में अच्छी तरह फैलाने पर जोर दिया गया है । इससे रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि करने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता भी मिलेगी । इस नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र और बृहत् उद्योग, स्वदेशी और विदेशी तकनीक, विदेशी निवेश, कामगारों की भागीदारी और उससे संबंधित मामले भी आते हैं, और इससे इस दिशा में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता को दूर करने में और फिर से पूंजी निवेश करने में काफी सहायता मिलेगी ।

विदेश व्यापार के क्षेत्र में, इस साल भारत के निर्यातों में और प्रगति हुई है । सरकार ने हमारे निर्यातों की सामाजिक लागत को कम-से-कम रखने की सुविचारित नीति अपनाई है और चीनी, चावल, तेल, तिलहनों, ताजी सब्जियों और सीमेंट जैसी आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का नियमन किया है । निर्यात से होने वाले अर्जन पर इसके प्रतिकूल प्रभाव की काफी से ज्यादा क्षतिपूर्ति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्यातों के विकास की गति को बढ़ाकर कर ली गई है ।

देश में उत्पादित वस्तुओं की पिछले बहुत सालों से चली आ रही कमी और आयातों के कारण अर्थव्यवस्था में ढेर सारे नियंत्रणों और नियमनों को लागू करना पड़ा था । सरकार की उत्कट इच्छा है कि इनमें से जिनकी उपादेयता समाप्त हो चुकी है, उन्हें हटा दिया जाए ताकि अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को निर्धारित करने में लोगों के उद्यमों और पहलशक्ति का पूरा उपयोग हो सके । अर्थव्यवस्था की मौजूदा

स्थिति ऐसी है जिसमें ऐसी नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्यात और आयात तथा औद्योगिक लाइसेंसों संबंधी नीति और प्रक्रिया की पहले ही जांच की जा चुकी है । नियंत्रणों की समूची व्यवस्था का व्यापक अध्ययन करने और उनको कम करने तथा सरल बनाने की सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया जा चुका है ।

औद्योगिक अशांति से उत्पादन में हानि होगी और यह किसी के भी हित में नहीं होगा । मैं मालिकों, कर्मचारियों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों से अपील करता हूं कि वे सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध कायम करें जिससे विकास पर कोई बुरा असर न पड़े । इस संदर्भ में मैं इस कठिन विषय पर सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा । मुझे आशा है कि इस अध्ययन दल की सिफारिशों से मजदूरी और आय की नीति बनाने में सहायता मिलेगी ।

विकास की चुनौती का सामना करने तथा विद्यार्थियों को जन-सेवा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार शिक्षा प्रणाली को पूरे तौर पर बदलने की आवश्यकता को बहुत ही महत्व देती है। इतने बड़े पैमाने पर फैली हुई निरक्षरता की समस्या की ओर भी प्राथमिकता से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हमें शिक्षा संबंधी नीतियों के बारे में अकादमिक ही नहीं, बल्कि प्रौढ़ शिक्षा के दृष्टिकोण से भी सोचना है । वास्तव में यदि देश को अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर तेज गति से बढ़ना है तो बड़े पैमाने पर साक्षरता के प्रसार के बिना काम चल ही नहीं सकता । शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्राधिकारियों से सभी संभव दृष्टिकोणों से सलाह-मशवरा किया है और परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय, शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा आदि व शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार कर लिये गये हैं और केन्द्र तथा राज्यों की योजनाओं में पहले से अधिक प्रावधान किए जा रहे हैं ।

अपने देशवासियों के रहन-सहन के स्तर को सुधारने के लिए और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति को पूरा महत्व देती है। अनुसंधान की दिशा में अधिक प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि वे हमारे प्राकृतिक साधनों के सर्वेक्षण, कृषि और उद्योग और ऊर्जा स्रोतों की तात्कालिक समस्याओं के लिए अधिक संगत हो सकें। सरकार ने राष्ट्रीय उपग्रह परियोजना पर अमल करना शरू कर दिया है । इस परियोजना से संचार, मौसम विज्ञान और तूफान-चेतावनी के क्षेत्र में सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार होंगे जिनका लाभ देश को मिलेगा ।

अब मुझे उस विषय का उल्लेख करना है जो देश के भावी कल्याण के लिए बहुत महवपूर्ण है । इमर्जेन्सी में की गई ज्यादतियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इस साल परिवार नियोजन कार्यक्रम को बड़ा धक्का लगा है । इस महत्वपूर्ण मामले में इस प्रवृत्ति को नहीं चलने दिया जा सकता । हम चाहते हैं कि लोग परिवार नियोजन अपनी इच्छा से अपनाएं । इसके लिए लोगों को शिक्षित करने और प्रेरणा देने के लिए अधिक कोशिश करने की जरूरत है । मैं राज्य सरकारों और सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे इस कार्यक्रम के महत्व को समझें और राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने के उपायों में मदद करें ।

परिवार कल्याण और सांविधानिक जिम्मेदारी निभाने के सिलसिले में एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय नशाबन्दी का है । पिछले साल मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार अगले 4 सालों में क्रमिक रूप से नशाबन्दी लागू कर दी जाएगी । इस क्रमिक कार्यक्रम के ब्यौरे राज्यों के साथ मशवरा करके तैयार किये जा रहे हैं ।

माननीय सदस्यगण, मैं अब दूसरे देशों के साथ अपने देश के संबंधों की चर्चा करूंगा । मेरी सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में लगातार पहल करके इस उप-महाद्वीप को शांति और सहयोग का क्षेत्र बनाने के लिए प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है । गंगा पानी के बंटवारे के संबंध में बंगलादेश के साथ करार किया गया । समानता, परस्पर सम्मान और एक दूसरे की संवेदन-

शीलताओं और आकांक्षाओं के समादर पर आधारित यही भावना हमने भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे दूसरे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में भी अपनाई है । विशेष रूप से ईरान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह एक दूसरे को समझने के लिए प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाने से ही संभव हो सकता था ।

हालांकि सीमा से संबंधित मतभेद सुलझ नहीं पाए हैं फिर भी हम चीन के साथ पंचशील आधार पर द्विपक्षीय संबंध धीरे-धीरे सुधार रहे हैं । मेरी सरकार ने दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों के साथ निकटता के बढ़ते हुए संबंधों के महत्व को माना है । जनतांत्रिक गणराज्य वियतनाम और इन्डो-चीन के अन्य देशों और इस क्षेत्र के राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ सहयोग के सेतुओं के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है । इस क्षेत्र की राष्ट्रमंडलीय सरकारों के प्रमुख पिछले दिनों पहली बार मिले और उन्होंने आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की । जहां तक जापान से हमारे संबंध की बात है अब यह अधिक अच्छी तरह समझा और महसूस किया जा रहा है कि भारत-जापान संबंध एशिया में शांति प्राप्त करने और विकास को प्रोत्साहित करने में सहायक हो सकते हैं ।

जहां तक बड़ी शक्तियों से संबंधों की बात है उसे सरकार ने सच्ची गुटनिरपेक्षता की नीति में आस्था, लाभकारी द्विपक्षीयता और रचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अभिवृद्धि में दृढ़ विश्वास पर आधारित किया है । हमें पूरा यकीन है कि सोवियत रूस और अन्य समाजवादी देशों के साथ हमने जो बहुमुखी सहयोग और सौहार्द स्थापित किया है, वह मजबूत और समृद्ध होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के समान सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली में हमारी भी आस्था है और इन देशों के साथ अपने संबंधों में हमने मित्रता और सौहार्द स्थापित कर लिया है । भले ही पहले हमारे बीच मतभेद रहे हों लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इन संबंधों को पारस्परिक विश्वास के उस उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं जो कि किन्हीं खास मामलों पर मतभेदों से कहीं ऊपर होगा और एक दूसरे में समझ-बूझ और विश्वास का क्षेत्र विस्तृत करेगा ।

विश्व के विशिष्ठ क्षेत्रों, विशेष रूप से दक्षिणी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में अभी भी तनाव बना हुआ है। हमने उपनिवेशवाद और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष में अफ्रीकी देशों के मुक्ति-आन्दोलन का समर्थन करना जारी रखा है और नामीबिया, जिम्बाबवे और दक्षिणी अफ्रीका में मुक्ति आन्दोलनों को अपना राजनीतिक समर्थन और ठोस सहायता देने का वायदा किया है। जातिवाद और उपनिवेशवाद के सामान्य शत्रु के विरुद्ध अफ्रीकी नेताओं में एकता की जरूरत के बारे में जितना कहा जाए थोड़ा है । पश्चिमी एशिया के संबंध में हमारा अब भी यही मत है कि इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए एक न्याय-संगत और चिरस्थायी समझौता होना चाहिए । यह समझौता सारे अधिकृत क्षेत्र से इसराइली सेनाओं की वापसी पर आधारित हो और संयुक्त राष्ट्र के उन संकल्पों के अनुसार हो जो कि फिलस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों को तथा इस क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट-निरपेक्ष विश्व, राष्ट्रमंडल और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संबंधी सम्मेलनों में मेरी सरकार ने भारत की रचनात्मक सहभागिता को मजबूत किया है ।

हमारा यह दृढ़ मत है कि वे विराट समस्याएं, जिनका विकासशील और विकसित देश सामना कर रहे हैं, केवल तभी हल की जा सकती हैं जब विश्व के सभी भागों में शांति और स्थिरता हो । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि बड़ी अणु शक्तियां आणविक परीक्षण पर रोक लगाने, सभी आणविक हथियारों को कम करने और उन्हें अंतिम रूप से समाप्त करने, तथा प्रभुसत्ता, समानता और पक्षपातहीनता के प्रति सम्मान रखते हुए परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण कार्यों के उपयोग के लिए शीघ्र ही सहमत

हो जाएं । आणविक निरस्त्रीकरण के लिए विश्व के सभी देश व्यग्र हैं । इस साल ही कुछ समय बाद निरस्त्रीकरण सम्मेलन करने का प्रस्ताव है । हमें उम्मीद है कि उसमें प्रमुख आणविक शक्तियां निरस्त्रीकरण के लिए एक सर्वसम्मत और समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा करेंगी । अपनी ओर से हमने आणविक शक्ति को केवल शांतिपूर्ण कार्यों में प्रयोग करने के दृढ़ निश्चय को फिर दोहराया है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिना किसी का इंतजार किए आणविक परीक्षण करने से हम स्वयं दूर रहेंगे। बहरहाल इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध हैं ।

माननीय सदस्यगण, इस सत्र के दौरान आपको आय और व्यय विवरण और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुदानों के लिए मांगों पर विचार करना होगा जिससे उन नई दिशाओं का निर्धारण होगा जिनमें देश को आने वाले वर्षों में प्रगति करनी है । आपको उन वैधनिक उपायों को अन्तिम रूप देना होगा जो आपके पास विचाराधीन हैं । आपको प्रस्तुत किए जाने वाले कुछ नए वैधानिक उपायों पर भी विचार करना होगा, जिनमें से कुछ के विषय में मैं पहले ही उल्लेख कर चका हूं । इनमें से कई उपाय हमारी लोकतांत्रिक नीति और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । इस प्रकार आपके सामने बहुत ही लम्बी कार्यसूची होगी । इसलिए मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। आपके योगदान के लिए मैं आपका आह्वान करता हूं और आपकी पूर्ण सफलता की कामना करता हूं ।

जय हिन्द ।

Honourable Members, I welcome you to this first session of Parliament in the current year which is also the first that I am addressing since I assumed the Office of President of India. While there are many things that claim our attention on this day, my thoughts go out to the people who lost their lives and property and to their kith and kin who survived, the devastating cyclones which struck Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry and Lakshdweep. My Government has treated this as a national calamity and has rendered all possible assistance and has fully cooperated with the concerned State Governments in organising relief measures. People from every part of our country have spontaneously and generously made contributions and I should like to place on record my sincere appreciation of their help.

In the eleven months that have elapsed since the general election, Parliament and Government have gone ahead with speed in restoring to the people the freedoms and protections guaranteed by the Constitution in their original plenitude. The Courts have regained their powers. The Press is free. The citizen is no longer in fear of arbitrary restrictions on his freedom. Step by step, the promise of re-establishing a just balance between and among the legislature, the executive, the judiciary and the citizen is being fulfilled. In fact the process is nearly complete except for the constitutional amendments that have to be made.

One of the first tasks to which the Government addressed itself in terms of its mandate was the removal of the authoritarian provisions that had been introduced into the Constitution. The Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill, which has been passed by both the Houses of Parliament, is now before the State Legislatures for ratification and it does away with the various restrictions on the jurisdiction of courts. After detailed discussions with leaders of the Opposition Parties, a comprehensive Bill to abolish the distortions introduced by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, has been drafted and will be introduced during the course of this session. I hope it will receive the full and early cooperation of all sections of the two Houses so that the Constitution can be restored

to its true form by removing the dark spots. In particular, there is need to build bulwarks against any possible future bid to use the Constitution itself to negate and subvert the basic principales of democracy.

Several changes that had been introduced in the electoral laws vitiating the equality before law, altering the concept of corrupt practices and abridging the power to appeal to the courts have been repealed. Another Bill is before you to repeal the amendments made in the Representation of Peoples' Act in 1974 and in 1975 so as to restore the democratic elements which obtained prior to these amendments. While undemocratic intrusions are thus being removed, there is need for basic reforms in electoral laws and procedures in order to make the electoral process more equitable and less susceptible to pernicious influences. Government is studying this question in detail and will place its proposals before the political parties very soon.

The people earnestly yearn for cleaner politics and cleaner administration at all levels. Unless there is faith in the probity of the holders of high office, the future of constitutional Government will not be secure. The Commissions constituted to enquire into the excesses of the Emergency and the allegations against certain individuals who had misused their positions are engaged in their onerous tasks. The Lokpal Bill designed to provide for practical and reliable safeguards against corruption and misuse of power by the elected representatives of the people is before you. Government will also be introducing a Bill to provide that all Members of Parliament should declare their assets, liabilities and business interests.

An alert public opinion is the best guarantor of rule of law and of honest and efficient democratic Government. By repealing the Prevention of Publication of Objectionable Matter Act and reviving the Parliament Proceedings (Protection of Publication) Act, Parliament has enabled the Press to function once more as a watchdog of liberty of the individual and well-being of the community. Government has taken the initiative to end any kind of control over news agencies. Assessment of the performance of the Press should be left to professional organisations, like the Press Council, which I hope will soon be revived. In order further to facilitate the growth of sturdy and independent newspapers and news services in the country, Government proposes to appoint a Press Commission to make suitable recommendations.

The facilities given to all political parties to broadcast over the radio and the television during the elections to State Assemblies in June, 1977 opened a new chapter in the annals of our media. Government has made it very clear not to use the official media for partisan purposes and is awaiting the report of the Working Group which is studying the question of giving greater autonomy to Akashvani and Doordarshan.

A thorough review of the Maintenance of Internal Security Act has been made by Government and a Bill has already been introduced for the repeal of MISA and for amending the Code of Criminal Procedure. Government has seen to it that while retaining the minimum necessary legal sanctions in the interest of security and defence of India, maintenance of public order and all services and supplies essential to the life of the community, necessary safeguards, including review by boards of judges nominated by the Chief Justice of High Courts, are provided to prevent any kind of arbitrariness in the excercise of such powers.

In some areas of national life, the suppressed feelings of the people have found expression in various forms of protests and agitations. At the same time, the removal of restrictions has been utilised by some sections to indulge in acts of violence, intimidation and sabotage. There have also been acts and threats of terrorism against our personnel and property abroad. While any aggrieved section is welcome to seek redress of its legitimate grievances through constitutional channels open to it, the Government cannot obviously permit lawlessness and violence. Stringent deterrent action will be taken against those indulging in them. The police in the country has to be transformed into an effective instrument of public service not only to maintain law and order but also to protect the rights of citizens, especially the weaker sections. Government has issued detailed directions to the Administration in tnis regard. Since the Indian Police Act was enacted in 1861 and the last Police Commission was set up as far back as in 1902, the Government has appointed a National Police Commission to examine and recommend on all the major issues pertaining to police administration in the country.

The Government attaches highest importance to the enforcement of the rights and safeguards for Minorities/Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes. The Government feels that standing institutional arrangements are necessary to enable these sections to participate effectively and freely as equal members in the national mainstream. The following Commissions are, therefore, being set up:

(1) The Minorities Commission is being set up for the enforcement of constitutional safeguards and the protection of laws passed by the Union and the State Governments ; and

(2) The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission is being set up to investigate all matters pertaining to the safeguards for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Constitution and laws.

A Backward Classes Commission is being set up to go into the problems of the backward classes and make recommendations to improve their conditions.

Due to proper management of the ecomomy in the past year, it is today well placed for making a rapid advance in the coming year. The rate of growth of the economy has risen to 5 per cent this year as against less than 2 per cent in the year prior to the assumption of office by this Government. Agricultural production has made up the ground lost last year and foodgrain production is expected to be above 118 million tonnes. The production of commercial crops also is much larger during the current year. The balance of payments continues to be strong in spite of a declaration of export earnings and our foreign exchange reserves have continued to rise significantly. Procurement has been large in spite of the removal of the zonal system and food stocks are currently about 17 million tonnes even though the offtake from the public distribution system is larger.

Inflationary pressures have been brought under check. While the price rise in the previous year was about 12 per cent, the current level of prices is no higher than the level at the end of March, 1977. The growth of money supply which had been as high as 20 per cent has been brought down substantially in the current year. However, since the inflationary potential in the economy is considerable Government does not view the price situation with complacency. All available instruments will be deployed to maintain reasonable price stability during the next year.

This Government inherited an economy in which poverty and unemployment were acute, particularly in the rural areas, and in which the development of the past 30 years

had not benefited large numbers. To rectify this neglect of the rural areas as well as to solve the chronic problems of poverty and unemployment Government decided to re-orient the strategy of development. Therefore, the Fifth Five Year Plan is being terminated this year and a new Five Year Plan is being started from April 1978, which will incorporate fully the new thinking of this Government regarding the strategy of development. The primary objectives would be the removal of unemployment and substantial under-employment in the shortest possible time, increasing the availability of basic goods and services to the people in the lowest income groups in the same period, a significant reduction in disparities of income and wealth and a steady progress towards technical self-reliance. The next Five Year Plan will, therefore, give particular emphasis to agriculture and allied activities, cottage and small scale industries, irrigation and power, adult education, universalisation of elementary education, rural water supply and rural roads. The production of basic goods necessary for the economy, such as oil, coal, metals, fertilizers, cement will also be emphasised.

Government has announced a new Industrial Policy which lays emphasis on the development of cottage and small industries widely dispersed throughout the country. This should help in achieving our goal of rapidly increasing employment. This Policy which also covers the role of public sector and large industries, indigenous and foreign technology, foreign investment, workers' participation and related matters, will go a long way in removing any uncertainty in this regard and lead to a revival of investment.

In the sphere of foreign trade, India's exports have made further advance during the year. The Government has adopted a deliberate policy of minimising the social cost of our exports and has regulated the exports of essential items such as sugar, rice, oil, oilseeds, fresh vegetables and cement. The adverse impact of this on export earnings has been more than made good by encouraging the growth of exports in the dynamic sectors.

Long years of shortages of domestically produced commodities and imports have led to a host of controls and regulations through the economy. Government is keen that those that have outlived their utility should be removed so that the enterprise and initiative of the people have full play in determining economic activity. The current state of the economy is such that such a policy can be effectively pursued. Already the policy and procedures regarding exports and imports and industrial licensing have been examined with this objective in mind. A committee has been constituted to study comprehensively the entire systems of controls and make recommendations to reduce and streamline them.

Industrial unrest will lead to loss in production and this will not be in anybody's interest. I appeal to employers, employees and others concerned to ensure harmonious industrial relations so that growth is not affected. In this context I would like to refer to the study group set up by Government to examine this difficult subject. I hope the recommendations of the study group will help in the evolution of a rational wage and income policy.

My Government attaches great importance to the need of overhauling the educational system with a view to meeting the challenge of development as well as providing opportunities of public service to the students. The problem of illiteracy on such a large scale as prevails also requires to be given priority attention. We have thus to think of educational policies in terms of not only academic but also adult education. In fact, if the country

is to make accelerated progress towards the goal we have set before it, the spread of literacy on mass scale is indispensable. Various avenues of consultation with educational authorities have been explored by the Ministry of Education and as a result, guidelines in respect of different fields of education, namely university education, secondary education and primary and adult education have been prepared and enhanced provision is being made in the Central and State plans.

Government attaches the full importance to the promotion of science and technology in order to impove the quality and content of the lives of our people and be conducive to increasing employment. Research effort is being stepped up and made more relevant to our immediate problems in natural resources survey, in agriculture and industry and in energy sources. Government has taken up the implementation of a National Satellite Project. Through this project significant improvement in communications, meteorological and disaster-warning services will become available to the country.

I must refer now to a matter of great importance to our future well-being. The family planning programme has suffered a setback this year as a reaction to the excesses committed during the Emergency. We cannot afford to allow this trend in this vital matter. The fact that we are keen that family planning should be wholly voluntary requires that there should be a much greater effort towards education and motivation. I appeal to the State Governments and to all people to recognise the importance of the programme and to assist in the measures to achieve the national targets.

Another subject of vital importance to family welfare and to the discharge of a constitutional responsibility is prohibition. As decided in the Conference of Chief Ministers and Ministers held last year, prohibition will be introduced throughout the country in a phased manner during the next four years. The details of the phased programme are being worked out in consultation with the States.

Hon'ble Members, I now come to our relations with other countries. My Government has spared no effort in striving to make our sub-continent an area of peace and co-operation, through a series of initiatives in our bilateral relations with neighbouring countries. Agreement was reached with Bangladesh on the sharing of the Ganga Waters. We have approached our relations with other neighbours like Bhutan, Nepal, Afghanistan, Burma, Sri Lanka and Pakistan in the same spirit, based on equality, mutual respect and appreciation of each other's sensitivities and aspiration. In particular, our bilateral relations with Iran have registered an improvement which only an enlightened approach to mutual understanding could have achieved.

Although differences relating to the border remain unresolved, we are gradually improving bilateral relations with China on the basis of the Panchsheel. My Government has recognised the importance of developing close relations with the countries in South-East Asia. We have made significant strides in beginning to build bridges of co-operation with the Democratic Republic of Vietnam and other States of Indo-China and with the Commonwealth countries in this region. For the first time, the Commonwealth Heads of Governments of the region met together recently and discussed methods of increasing mutual co-operation. With Japan, there is a deeper understanding and realisation that Indo-Japanese relations can be a contributing factor in achieving peace and promoting development in Asia.

The Government has based its relations with the Great Powers on the firm belief in a commitment to genuine non-alignment, beneficial bilateralism and furtherance of constructive international co-operation. We are confident that the many sided co-operation and understanding which we have built with the Soviet Union and other Socialist countries will be stengthened and enriched. We have achieved cordiality and friendship in our relations with the United States of America and Western democracies with whom we share a common belief in the democratic system of Government. It is our hope that not with standing the differences which we may have had in the past, we can now foster these relations to a new level and quality of mutual confidence which will transcend differences on specific matters and enlarge the area of understanding and faith in each other.

Tensions still beset specific areas of the world, particularly in Southern Africa and West Asia. We have continued to support the African countries and their liberation movements in the struggle against colonialism and racialism and have pledged our political and material support to the liberation movements in Namibia, Zimbabwe, and South Africa. We cannot over-emphasise the need for unity amongst the African leaders in dealing with the common enemy of racialism and colonialism. In West Asia, we continue to hold the view that a just and lasting settlement based on the withdrawal of Israeli forces from all occupied territories, and in accordance with the resolutions of the United Nations which secure the legitimate rights of the Palestinian people and security for all States of the region is essential for durable peace in that region.

My Government has stengthened India's constructive participation in international forums—in the United Nations, in the non-aligned world, in the Commonwealth and in the conference on International Economic Co-operation.

We are convinced that the enormous problems facing both the developing and the developed countries can be solved only if there is peace and stability in all parts of the world. In order to bring this about, it is essential that the major nuclear powers arrive at an early agreement on test ban, on reduction and ultimate elimination of all nuclear weapons, and on peaceful exploitation of atomic energy on the basis of respect for sovereignty, equality and non-discrimination. Nuclear disarmament is a matter of foremost concern to all the countries of the world and we hope that at the Disarmament Conference proposed to be held later this year the major nuclear powers will be able to announce an agreed and timebound programme of disarmament. For our part, we have reiterated our solemn resolve to use nuclear energy only for peaceful purposes and have also made it clear that we will unilaterally desist from making nuclear test. We are, however, opposed to any form of discrimination in this vital sector.

Hon'ble Members, during this Session you have to consider the Statement of Receipts and Expenditure and the Demands for Grants for the coming financial year which will determine the new direction in which the country will progress in the coming years. You will have to finalise the legislative measures already pending with you and also deal with the new ones that will be presented, to some of which I have earlier made mention. Many of these measures are of far reaching importance in stengthening our democratic polity and economy. You thus have a very heavy agenda before you. I would not therefore detain you any longer. I summon you to your endeavours and wish you all success.

Jai Hind

निधन संबंधी उल्लेख

OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मैं अपने तीन भूतपूर्व साथियों, श्री महादेव प्रसाद, डा० श्रीमन्नारायण और श्री एच० आर० गोखले के दुःखद निधन के बारे में सभा को सूचित करता हूं ।

श्री महादेव प्रसाद वर्ष 1957-67 के दौरान दूसरी और तीसरी लोक सभा के सदस्य थे । उन्होंने उत्तर प्रदेश के क्रमशः गोरखपुर और बांसगांव निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया । इससे पूर्व वह वर्ष 1952-57 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के भी सदस्य रहे । दलित वर्गों के उद्धार में उनकी अत्यधिक रुचि थी इसीलिए उन्होंने हमेशा संसद् में तथा उससे बाहर उनके हितों का समर्थन किया । उनका निधन 76 वर्ष की आयु में 11 दिसम्बर, 1977 को गोरखपुर में हुआ ।

डा० श्रीमन्नारायण वर्ष 1952-57 के दौरान पहली लोक सभा के सदस्य थे । उन्होंने भूतपूर्व मध्य प्रदेश राज्य के वर्धा निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया । शिक्षाविद के रूप में उन्होंने अपना जीवन आरम्भ किया और वर्धा में सेक सारिया कामर्स कालेज की नींव डाली । वह इस कालेज के प्रधानाचार्य भी रहे । महात्मा गांधी के संसर्ग में आने पर वह उनके पक्के अनुयायी बन गये और उन्होंने 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में भी भाग लिया । 1949 में उन्होंने गांधी विचार धारा के प्रचार के लिये विश्व का दौरा किया । गांधीवादी अर्थशास्त्र और आयोजना पर उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं ।

डा० श्रीमन्नारायण ने विभिन्न पदों पर रह कर देश की सेवा की है । वह अनेको शिक्षा तथा अन्य संस्थाओं से संबद्ध रहे । 1951 से आगे वह नागपुर विश्वविद्यालय में कामर्स फैकल्टी के डीन के पद पर रहे । 1958 में वह योजना आयोग के सदस्य बने और 1964 तक उन्होंने इस पद पर काम किया । 1964 में उन्हें नेपाल में राजदूत नियुक्त किया गया । 1967 में उन्हें गुजरात राज्य का राज्यपाल बनाया गया और 1973 तक वह उस उच्च पद पर रहे ।

उन्होंने अखिल भारतीय शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित किये और गांधी समारक निधि के प्रेसीडेंट रहे । उनका जीवन अत्यन्त सादा था और दिखावट से परे था ।

उनका निधन 3 जनवरी, 1978 को 66 वर्ष की आयु में ग्वालियर में हुआ । उनकी मृत्यु से देश ने एक सरल और निष्ठावान सेवक तथा देशभक्त खो दिया है जिसने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा में अर्पित किया ।

श्री एच० आर० गोखले पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे । उन्होंने महाराष्ट्र के 'नार्थ-वेस्ट-बम्बई' निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया । वे विधिविद् परिवार से सम्बन्धित थे और उन्होंने अपना जीवन एक वकील के रूप में शुरू किया । उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में बड़ा सक्रिय भाग लिया तथा कार्मिक संघ गतिविधियों में आगे बढ़ कर भाग लिया । 1962 में उन्हें बम्बई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया और उस पद पर वे 1966 तक रहे । बाद में 1971–77 में वे केन्द्रीय सरकार में विधि और न्याय मंत्री रहे ।

श्री गोखले का निधन 15 फरवरी, 1978 को 63 वर्ष की आयु में दिल्ली में हुआ ।

हम अपने इन साथियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं ।

इसके पश्चात सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ समय मौन खड़े हुए ।

The Members then stood in silence for a shortwhile.

———

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE. MOTION FOR ADJOURNMEMT

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने ईरानी छात्रों, उनकी गिरफ्तारी और उन्हें वापस भेजने की सरकार की इच्छा और उन पर लगाये गये कतिपय अन्य प्रतिबन्धों, जो एक लोकतंत्री देश को शोभा नहीं देता, सम्बन्धी मामले पर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

दूसरी सूचना बिहार में श्री जगजीवन राम के निर्वाचन क्षेत्र में एक हरिजन पर हमले, यातना देने और गोली से मारने और अन्त में उसे जलाये जाने के बारे में है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर विचार किया है और आपको इस बारे में सूचित किया जायेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश, 1978

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 16 जनवरी, 1978 को प्रख्यापित उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश, 1978 (1978 का संख्या 1) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [सभा पटल पर रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1512/78]

श्री सी०के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर): जब यह अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था तो हमने कुछ टिप्पणियां की थीं। इसमें 100 रुपये के नोट शामिल नहीं किये गये। यह एक बहुत गम्भीर बात है। प्रेस के अनुसार सरकार के निर्णय का पहले ही पता चल गया था।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर विधेयक आने पर चर्चा कर सकेंगे।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : हम ऐसे विधेयक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका पहले ही पता लग गया था। इससे कुछ लोगों को लाभ हुआ है। मुद्दा यही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): श्रीमती गांधी को इसका पता चल गया और उन्होंने 1000 रुपये के नोट भुना लिये।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : कुछ लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस से लाभ पंहुचा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE.

कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 31-12-77 की उद्घोषणा और राष्ट्रपतीय आदेश तथा उसके सम्बन्ध में कर्नाटक के राज्यपाल का प्रतिवेदन

संसदीय और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(एक) संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य के संबन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 को उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

कि एक प्रति जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 798 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 799 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) राष्ट्रपति के नाम कर्नाटक के राज्यपाल के दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० संख्या 1513/78]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(4) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाएं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति:——

(एक) सा० सा० नि० 764 (ङ) जो दिनांक 19 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सा० नि० 774 में (ङ) जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सा० नि० 1 (ङ) जो दिनांक 1 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सा० नि० 7 (ङ) जो दिनांक 4 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सा० नि० 11 (ङ) और 12 (ङ) जो दिनांक 4 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० सा० नि० 16 (ङ) और 17 (ङ) जो दिनांक 6 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० सा० नि० 18 (ङ) से 20 (ङ) जो दिनांक 7 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० सा० नि० 21 (ङ) और 22 (ङ) जो दिनांक 7 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० सा० नि० 39 और 41 जो दिनांक 7 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा० सा० नि० 77 जो दिनांक 14 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०सा० नि० 41 (ङ) और 42 (ङ) जो दिनांक 25 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० सा० नि० 46 (ङ) से 48 (ङ) जो दिनांक 28 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल० टी० 1514/78]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०सा० नि० 790 (ङ) से 792 (ङ) जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०सा०नि० 795 (ङ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सा० नि० 49 (ङ) से 51 (ङ) जो दिनांक 28 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०सा० नि० 53 (ङ) जो दिनांक 30 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल० टी० 1515/78]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 331/77-सी० ई० (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 23 जुलाई, 1977 की अधिसूचना संख्या सा० सा० नि 945 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल० टी० 1516/78]

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र

RESIGNATION BY MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि 24 दिसम्बर, 1977 को मुझे बिचार के समस्तीपुर चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री कर्पुरी ठाकुर से पत्र प्राप्त हुआ है कि उन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 24 दिसम्बर, 1977 से स्वीकार कर लिया है।

मुझे यह भी सूचित करना है कि लोक सभा सचिवालय में 6 जनवरी, 1978 को श्री वाई० शायजा से भी पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्याग पत्र दे दिया है। मैंने 6 जनवरी, 1978 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

लोकपाल विधेयक

LOKPAL BILL

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के समय का बढ़ाया जाना

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि यह सभा जन सेवकों के विरूद्ध अवचार के अभिकथन की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय वर्षाकालीन सत्र (1978) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : इसका समय कितनी बार बढ़ाया जायेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : जब यह विधेयक सभा में प्रस्तुत किया गया था तो गृह मंत्री उसे उसी समय पास करने को उत्सुक थे और काफी कहने पर भी उन्होंने उसे संयुक्त समिति को सौंपने का सुझाव स्वीकार किया। वह भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन अब श्री गुप्त तीसरी बार समय बढ़ाना चाह रहे हैं। यदि समय बढ़ाया ही जाना हो तो यह अंतिम बार होना चाहिए।

श्री सी० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव में :--

"वर्षाकालीन सत्र (1978) के प्रथम सप्ताह" **के स्थान पर--**

"वर्तमान बजट सत्र" **प्रतिस्थापित** किया जाये।

1966 में ही प्रशासनिक सुधार आयोग ने जिसके अध्यक्ष श्री मोरारजी देसाई थे, ओमबउसमेन या लोकपाल की नियुक्ति के महत्व को स्पष्ट किया था। तब से लेकर अब तक विभिन्न प्रक्रमों पर सभा में उस पर विचार होता रहा है। कभी गैर सरकारी और कभी सरकारी विधेयक के रूप में इस पर चर्चा होती रही।

पिछली बार जब समय बढ़ाने की बात कही गई थी तो मैंने उसका विरोध किया था। दूसरे सत्र में मैंने अपना लोकपाल विधेयक इसीलिए वापिस लिया था कि गृह मंत्री जी ने इसे सरकारी विधेयक के रूप में शीघ्र ही पास किये जाने का आश्वासन दिया था। अब फिर अवधि बढ़ायी जा रही है। इस सत्र में 62 कार्य दिवस हैं। यदि समिति इस विधेयक के बारे में गंभीरता से काम करे तो सत्र के सभी 62 दिनों में बैठक करके संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

श्री ओ० वी० अलगेशन (आर्कोनम) : अवधि बढ़ाने से लगता है कि वर्षाकालीन सत्र में भी इस पर विचार नहीं हो पायेगा और इस विधेयक में निरन्तर विलम्ब होता रहेगा। अवधि इतनी बढ़ायी जाये कि वर्तमान सत्र में ही उस पर विचार हो सके।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : महोदय जनता सरकार द्वारा इस अच्छे विधेयक के लाये जाने का स्वागत है। समूची सभा चाहती है कि यह विधेयक शीघ्र ही पास होकर कानून बन जाये।

चूंकि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले से सम्बन्धित विधेयक है। अतः इस बार अन्तिम रूप से अवधि बढ़ायी जाये ताकि वर्ष 1978 में ही हम लोगों को बता सकें कि हम वास्तव में गम्भीर हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंडहार्बर) : महोदय मैं लगभग एक दशाब्दी से इस सभा का सदस्य हूं और हम लोकपाल के बारे में तभी से सुन रहे हैं। प्रत्येक वर्ष यह आता है और सत्र के अन्तिम दिन अपनी मौत मर जाता है।

इससे लोगों के दिमाग में यह बात पैदा होती है कि सरकार इस बारे में गम्भीर नहीं। मैं चाहता हूं कि इस समिति के सभापति श्री श्यामनन्दन मिश्र सभा के समक्ष विशेष संकल्प रख कर आश्वासन दें कि इस सत्र की समाप्ति के पूर्व प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : मुझे तो ऐसा पता चला है कि प्रवर समिति के सदस्य ही संसद सदस्यों को इसमें शामिल करने के पक्ष में नहीं है।

श्रीमती चन्द्रावती (भिवानी) : उन्हें शामिल किया जाना चाहिए।

श्री मोरारजी देसाई : हां, उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। अतः हम उसके लिए तिथि निर्धारित कर देते है, तथा तब तक इसे कर ही दिया जाना चाहिए। मुझे ऐसा करने में कोई आपत्ती नहीं है। मैं तो ऐसा किये जाने पर खुश हूंगा।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): It has been stated by Hon. Member Shri Basu that the history of Lokpal Bill is that of postponement. The delay in passing this Bill is giving room to several apprehensions in the minds of people. So my submission is that this Bill be brought before the end of this session. I think this is the feeling of the whole House and we must honour it.

श्री अरविंद बाला पजनोर (पांडिचेरी) : प्रधानमंत्री ने संसद सदस्यों को भी इस विधेयक में शामिल करने का उल्लेख किया है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्या इस समय मुख्य मंत्रियों को भी विधेयक की परिधि के अन्तर्गत लाया जा सकता है । मैं समझता हूं कि प्रवर समिति ही विवादास्पद प्रश्न के कारण ही निर्णय लेने में विलम्ब कर रही है क्योंकि यह एक राजनीतिक मामला है · · · · (**व्यवधान**)

श्री शशांक शेखर सान्याल (जंगीपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रवर समिति की कार्यवाही तो गोपनीय होती है। प्रधानमंत्री उसका उल्लेख कैसे कर सकते हैं। उन्हें यह कैसे मालूम हुआ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी सभी को होती है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): I do share the concern of the House over the delay in passing the Lokpal Bill. The Government is also very keen to pass this Bill. But there are many legal points involved in this Bill for which Attorney General is being consulted. It is a Bill of vital national importance and we are trying to develop a national concensus on this issue. There are so many questions before the Committee such as the inclusion of Chief Ministers as well as of M.Ps and secretaries. So select committee will make a sincere attempt to finalise it by the end of this session.

अध्यक्ष महोदय : समिति ने इस विधेयक को अन्तिम रूप देने में काफी समय ले लिया है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है तथा इसे पारित किया जाना चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त : श्रीमान जी हमने इसके लिए 14 बैठकें की है तथा हमारे पास 489 संशोधन आये थे। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम इसे सत्र के अन्त तक अन्तिम रूप देने का भरसक प्रयत्न करेंगे । · · ·

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री पी० के० देव का संशोधन सदन के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है

कि प्रस्ताव "वर्षाकालीन सत्र 1978 के प्रथम सप्ताह" **के स्थान पर**
"वर्तमान बजट सत्र" **प्रतिस्थापित** किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधित प्रस्ताव सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है।

"कि यह सभा जन सेवकों के विरूद्ध अवचार के अविकथन की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय वर्तमान बजट सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

अध्यक्ष महोदय : अतः प्रतिवेदन इसी सत्र के अंत तक प्रस्तुत किया जायेगा।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, 21 फरवरी, 1978/2 फाल्गुन, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, February, 21, 1978/Phalguna 2, 1889 (Saka).

MGIPRRND—32 LSS/77—II N.S. —22-3-78—210.